

प्रेषक,

श्री लक्ष्मी कौशिक प्राथमिक विद्यालय, नई दिल्ली

सेवा में,

श्री लक्ष्मी कौशिक माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली

शिक्षा 170 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 31 मार्च 2005

विषय:-

श्री लक्ष्मी कौशिक प्राथमिक विद्यालय, नई दिल्ली के अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **अनापत्ति** नई दिल्ली से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।।
- 3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/वैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्वा मिनेंस नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रिय शिक्षा परिषदों की संबन्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद से प्राप्त प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः प्राप्त हो जायेगा ।

C.C Singh
Manager

Mary & Jesus Convent School
(Affiliated to CBSE New Delhi)
Main Office: Connara-246748



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

- §5§ संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- §6§ कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- §7§ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- §8§ विद्यालय सिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- §9§ उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

श्री प्रकाश कुमार
संयुक्त सचिव

2

पू०सं०एवं दिनांक तद्वै

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **मुंबई/पुणे ।**
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **मुंबई/पुणे-1 विभाग ।**
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रबंधक, **श्री प्रकाश कुमार संयुक्त सचिव, विभाग ।**
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से
श्री प्रकाश कुमार
संयुक्त सचिव

2